हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 14/2/20 को पेश हो ।	
14/02/20 पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 28/02/2020 को पेश हो ।	
28/2/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरों का पुनः सीमांकन करवा कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान करावें। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त स्वत्व द्वारा विवादित आराजी ग्राम गोसाईंगार के ख.नं. 407 रकबा 29.14 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के पास अप्रार्थीगणों के ख.नं. 404, 405, 404/1, 404/2 की कृषि भूमि आई हुई है। कृषि भूमि की पुनः पैमाईश (सीमांकन) कर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण करवाना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ... ने अपनी बहस ... प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगणों के खसरों व प्रार्थीगण	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के खसरे में सीमा को लेकर विवाद है। पटवारी नांदिया कला द्वारा दि० 15/7/19 को मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ख.नं. 407 की भूमि कम पाई गई तथा ख.नं. 404 व 405 के खातेदारों के कब्जे में पाई गई। मौका सीमाज्ञान नहीं हो पाया है प्रार्थीगणों के खसरे की मौके पर नाप (सीमांकन) करने के आदेश फरमाने व प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मध्य चारों ओर मेड़बंदी किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया गया। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। तहसीलदार बावड़ी ने अपने जवाब में बताया कि पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
	पत्रावली के अवलोकन से यह बात निःसन्देह प्रमाणित होती है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।
	प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act. स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

सन्

नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ग्राम गोसाईनगर के ख.नं. 407, 404, 405, 404/1 व 404/2 की भूमि की एक बार पुनः सीमाकन की कार्यवाही करें। पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट अस्पष्ट है। पत्रावली में संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। बाद सीमांकन रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार बाड़ी को दिये जाते हैं। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व एक बार पुनः सीमाकन कार्यवाही कर ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। तहसीलदार बाड़ी आवश्यकतानुसार पुलिस ईमदाद सम्बन्धित थानाधिकारी से प्राप्त कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें।	
तहसीलदार बाड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।	
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner